कार्यालय जिलाधिकारी/कलेक्टर हरिद्वार।

पत्र संख्याः- /तीन-संग्रह-2019-20 दिनांक फरवरी 2019

सार्वजनिक नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में मै0 धनश्री एग्रो, प्रोडेक्ट, प्रा0लि0 इकबालपुर, तहसील भगवानपुर के गोदाम में रखी वर्ष 2017-18 व 2018-19 की चीनी की नीलामी दिनांक 03.02.2020 को पूर्वान्ह 11:00 बजे भगवानपुर तहसील परिसर के ब्लाक सभागार में नियत थी, परन्तु मौके पर कोई बोलीदाता उपस्थित न होने के कारण नीलामी समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार दिनांक 10.02.2020 को प्रातः 11:00 बजे भगवानपुर तहसील परिसर के ब्लाॅक सभागार में चीनी की नीलामी की जायेगी, जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्र0 स0	गोदाम सं0	वर्ष	कट्टों की सं0	मात्रा (कु0 में)	दर रू0 प्रति कुन्तल	रू0 3100.00 की दर से कुल मूल्य कुल मूल्य
1	2	2017-18	73196	36598	3100.00	113453800.00
2	5	2017-18	89784	44892	3100.00	139165200.00
3	6	2017-18	175680	87840	3100.00	272304000.00
4	2	2018-19	45172	22586	3100.00	70016600.00
कुल योग			383832	191916		594939600.00

नीलामी की शर्ते

1- मै0 धनश्री एग्रो0 प्रो0 प्रा0 लि0 इकबालपुर चीनी के गोदामों में रखी चीनी जैसी है, जहा है के आधार पर नीलाम की जाएगी।

2- कुल चीनी को 08 भाग में नीलाम किया जायेगा जिसमें 7 लाट 25000 कुन्तल के होंगे तथा अन्तिम 08वां लाट 16916 कुन्तल का होगा।

3-प्रत्येक बोली लगाने वाला व्यक्ति फर्म के लिए ही बोली लगा सकेगा तथा उसके द्वारा लगायी बोली की धनराशि में किसी भी दशा में किसी कमी पर विचार नहीं किया जाएगा।

4-कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति की ओर से नीलामी पर बोली लगाने के लिए तब तक अधिकृत नहीं होगा जबकि उनसे ऐसे व्यक्ति से जो नीलामी पर उपस्थित है लिखित प्राधिकार नहीं प्राप्त कर लेता।

5-प्रत्येक लाट को उठाने हेतु 5000 कुन्तल के सब लाट में विभक्त किया जायेगा तथा प्रत्येक सब लाट को उठाने से पूर्व उक्त का शत-प्रतिशत भुगतान आवश्यक होगा।

6-जमानत की धनराशि अन्तिम सब लाट के उठान में समायोजित की जायेगी।

7-भुगतान हो जाने के 15 दिनों के अन्दर माल उठाना आवश्यक होगा।

8-बोली में भाग लेने की अनुमति दिये जाने के पूर्व बोली के प्रतिभागियों से यह लिखित रूप से प्राप्त किया जाएगा कि वे इन नियमों में निर्धारित शर्तो एंव निबंधनों को यथावत स्वीकार करते हैं।

9-बोली के दिन बोली दाता फर्म का जी0एस0टी0 रजिस्टेªशन/पैन न0 होना चाहिए एवं साथ ही सर्टिफिकेट प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करेगा।

--2--

10-चीनी उठाने की व्यवस्था बोली दाता को स्वयं करनी होगी, बोली दाता द्वारा भेजे गए वाहन या प्रतिनिधि से मिल को कोई क्षति अथवा हानि होती है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी बोली दाता की होगी।

11-सर्वाधिक बोलीदाता को छोड़कर अन्य बोलीदाता के द्वारा जमा धरोहर धनराशि को नीलाम स्वीकृति के पश्चात् उसी दिन वापस कर दिया जायेगा।

12-प्रत्येक बोलीदाता को 3100.00 रू0 प्रति कुन्तल की दर से प्रत्येक लाट के लिये 3 प्रतिशत धरोहर धनराशि बतौर जमानत धनराशि बोलने से पूर्व जमा करनी होगी। बेस प्राइज 3100.00 का निर्धारण सहायक, गन्ना आयुक्त, हरिद्वार के द्वारा किया गया है।

13-जमानत की धनराशि ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक, से ही स्वीकार होगी। ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक उपजिलाधिकारी, भगवानपुर के नाम से बनाया जायेगा ।

14-नियमों/शर्तों के परिवर्तन का अधिकार अध्यक्ष नीलामी समिति का होगा। अन्य शर्तों नियमानुसार लागू की जायेंगी।

अध्यक्ष नीलामी समिति
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
हरिद्वार।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही/प्रकाशन हेतु प्रेषित।

1-गन्ना आयुक्त, उत्तराखण्ड, काशीपुर, जिला उधम सिंह नगर।
2-जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0 हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त नीलामी सूचना को बेवसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
3-उपजिलाधिकारी हरिद्वार/रूडकी/लक्सर/भगवानपुर/नाजिर सदर, कलेक्ट्रेट, हरिद्वार।
4-सहायक गन्ना आयुक्त, हरिद्वार।
5-महाप्रबन्धक, उत्तम शुगर मिल, लिब्बरहेडी, तहसील रूडकी/रायबहादुर नारायण सिंह शुगर मिल, लक्सर/मै0 धनश्री एग्रो प्रोडेक्ट, प्रा0लि0, भगवानपुर।
6-खण्ड विकास अधिकारी, बहादराबाद/रूडकी/लक्सर/खानपुर/भगवानपुर/ नारसन।
7-जिला सूचना अधिकारी, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाश दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराते हुए 01 प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
हरिद्वार।